भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/टीजी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन्स **नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2016**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक(लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

महाप्रबंधक/पीआरएस
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 54)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना और परिचालन-सेवा कर।

संदर्भ: दिनांक 08.07.2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 34 के तहत जारी अनुदेश।

2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत वाईटीएसके योजना परिपत्रित की गई थी और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के तहत मसौदा करार परिपत्रित किया गया था। उसके बाद, इस योजना में समय-समय पर कुछ परिवर्तन किए गए। 2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 34 के तहत स्पष्ट किया गया था कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी दिनांक 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 33/2012-एसटी के तहत दिए गए 10 लाख रुपए की सीमा तक की छूट के अध्यधीन सेवा प्रभारों के सेवाकर भाग को स्वयं कर प्राधिकारियों को जमा करेंगे।

2. बहरहाल, रेल मंत्रालय के लेखा एवं वित्त निदेशालय के परामर्श से इस मामले की पुन: जांच की गई और वाईटीएसके योजना में निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है:

क) सेवाकर अप्रत्यक्ष कर होने के कारण, इसे निर्धारित सेवा प्रभारों, जहां कहीं लागू हों, के अलावा सेवा उपयोगकर्ता (यात्री) से वसूल किया जाएगा बशर्ते कि सेवा प्रदाता (वाईटीएसके) सेवाकर विभाग में पंजीकृत हो।

ख) वाईटीएसके परिचालक बुकिंग काउन्टर पर सेवा प्रभार की दर और सेवा कर अनिवार्य रूप से दर्शाएगा ताकि सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को वाईटीएसके सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रभारों की जानकारी प्राप्त हो।

ग) टिकट पर सेवा कर मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। वाइटीएसके परिचालक सेवा कर प्राप्त करने का एक अलग रसीद देगा जिसपर उसका सेवाकर पंजीकरण नम्बर मुद्रित होगा।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, टिकट पर कर तत्व मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के लेखा एवं वित्त (वाणिज्य) निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

(ए. के. जैन)	**(टी. डी. द्विवेदी)**	**(रवीन्द्र एन. मिश्र)**
निदेशक यातायात वाणिज्य(सा.)	**निदेशक वित्त लेखा**	**निदेशक वित्त (वाणिज्यक)**
रेलवे बोर्ड	**रेलवे बोर्ड**	**रेलवे बोर्ड**

TG-1 P. OFF.

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

सं. 2015/टीजी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन्स **नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2016**

1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, ओएसडी/एफसी, एफसी ओर वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
3) एम डी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

(ए. के. जैन)
निदेशक यातायात वाणिज्य(सा.)
रेलवे बोर्ड

******

TG-1 P. OFF.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions **New Delhi Dated 02.11.2016**

Chief Commercial Managers, All Zonal Railways
FA & CAO, All Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

General Manager/PRS
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 54 OF 2016)

Sub: Establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)- Service Tax

Ref: Instructions issued vide Commercial Circular no. 34 of 2016 dated 08.07.2016.

The scheme of YTSK was circulated vide Commercial Circular no. 33 of 2014 & draft agreement was circulated vide Commercial Circular No. 39 of 2014. Thereafter certain modifications were made in the scheme from time to time. Vide Commercial Circular no. 34 of 2016 it was clarified that the YTSK Licensee shall himself/herself remit the service Tax portion from the service charges to the tax authorities subject to threshold exemption of Rs. 10 lakhs provided under Notification no. 33/2012-ST dated 20.06.2012.

2. However, the matter has further been examined in consultation with Accounts & Finance Directorate of Ministry of Railways and following changes in the YTSK scheme have been decided:

a) The service tax being an indirect tax shall be collected from the user of the service (passenger) in addition to prescribed service charges, wherever applicable, provided the service provider (YTSK) is registered with service tax department.
b) YTSK operator shall display the rate of service charge and service tax conspicuously at the booking counter so that the passengers using the service are aware of the charges to be paid for availing YTSK services.
c) The service tax need not be printed in the ticket. The YTSK operator shall give a separate receipt of collection of service tax with his service tax registration number printed on the receipt.

3. In view of the above there is no need to print tax element on the ticket.

4. This issues with the concurrence of Accounts and Finance (Commercial) Directorates of Ministry of Railways.

02/11/16	31.10.16	2/XI/16.
(A.K. Jain)	**(T.D. Diwivedi)**	**(Rabindra N. Mishra)**
Director Traffic Commercial(G)	**Director Finance Accounts**	**Director Finance (Commercial)**
Railway Board	**Railway Board**	**Railway Board**

cont./--

Copy to:

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions **New Delhi Dated 02.11.2016**

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

02/11/16

(A.K. Jain)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

*****